	बल की व्यवस्था कर दी गयी है। यदि इसमें किसी प्रकार की जिज्ञास हो तो जिला आबकारी अधिकारी, गाजियाबाद से जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

उपरोक्त आदेश जनपद गाजियाबाद के सभी हॉटस्पाट/कन्टेनमेंट जोन में लागू नही होंगे। हॉटस्पाट एवं कन्टेंनमेंट जोन में पूर्व की तरह प्रतिबन्ध लागू रहेगा। हॉटस्पाट की सूची संलग्न है। उपरोक्त जारी सभी आदेश कोरोना प्रोटोकॉल के अन्तर्गत लागू किये जायेंगे, जिनका अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

इसके अतिरिक्त जनपद गाजियाबाद में तहसील मोदीनगर मे उप जिलाधिकारी मोदीनगर को Incident commender बनाया गया है, जिनका मोबाइल नं0 9415034326 है, तहसील लोनी में उप जिलाधिकारी, लोनी को Incident commender बनाया गया है, जिनका मोबाइल नं0 9412288286 है, तहसील सदर में उप जिलाधिकारी, सदर को Incident commender बनाया गया है, जिनका मोबाइल नं0 8130653098 है। इसके अतिरिक्त नगर मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद को शहर गाजियाबाद में थाना कविनगर, सिहानीगेट एवं कोतवाली का Incident commender बनाया गया है, जिनका मोबाइल नं0 6306605595 है, अपर नगर मजिस्ट्रेट प्रथम, गाजियाबाद को शहर गाजियाबाद में थाना साहिबाबाद, टीलामोड का Incident commender बनाया गया है, जिनका मोबाइल नं0 9140436755 है, अपर नगर मजिस्ट्रेट, द्वितीय गाजियाबाद को शहर गाजियाबाद में थाना इन्दिरापुरम, खोड़ा, कौशाम्बी एवं लिंकरोड का Incident commender बनाया गया है, जिनका मोबाइल नं0 9450266195 है, से जानकारियॉ प्राप्त की जा सकती है।

(अजय शंकर पाण्डेय)
जिला मजिस्ट्रेट,
गाजियाबाद।

प्रतिलिपि :–

1– उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद।
2– वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गाजियाबाद।
3– सचिव, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद।
4– अपर जिलाधिकारी (भू0अ0)/प्रशासन/नगर/वित्त एवं राजस्व, गाजियाबाद।
5– नगर मजिस्ट्रेट/समस्त उप जिला मजिस्ट्रेट/समस्त अपर नगर मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद।
6– जिला विकास अधिकारी, गाजियाबाद।
7– उप श्रमायुक्त, गाजियाबाद।
8– उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग केन्द्र, गाजियाबाद।
9– जिला आबकारी अधिकारी, गाजियाबाद।
10– सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), गाजियाबाद।

जिला मजिस्ट्रेट,
गाजियाबाद।

निर्माण गतिविधियाँ	निर्माण गतिविधि के सम्बन्ध में http://gdaghaziabad.in/wp-content/uploads/2020/05/SOP.pdf पर आवेदन कर सकते है, इसके प्रभारी सचिव, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण जिनका मोबाइल नं0 8826662850 है। शहरी क्षेत्र में निर्माण सम्बंधी गतिविधियाँ केवल In-situ निर्माण अर्थात जहाँ साईट पर श्रमिक उपलब्ध हो और किसी भी प्रकार से किसी भी श्रमिक को साईट के बाहर से लाने की आवश्यकता न पड़े। रिन्यूवल इनर्जी से सम्बन्धित प्रोजेक्ट के निर्माण की अनुमति के सम्बन्ध में उक्त पोर्टल पर आवेदन कर सकते है। ग्रामीण क्षेत्र में सभी प्रकार की निर्माण गतिविधियों की अनुमति रहेंगी किसी भी आवेदन पत्र देने की आवश्यकता नही होगी। खण्ड विकास अधिकारी रजापुर, मुरादनगर, भोजपुर एवं लोनी अपने–अपने क्षेत्रों मे सतत निगरानी रखेंगे। शहरी क्षेत्र में किसी भी प्रकार की निर्माण सम्बंधी कोई जिज्ञासा हो तो उसके बारे में सचिव, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण से प्राप्त की जा सकती है।
सरकारी/निजी कार्यालय	सरकारी/निजी कार्यालयों को खोले जाने के सम्बन्ध में निर्देश है। इसके लिए सम्बन्धित कार्यालय अध्यक्ष अपने कर्मचारियों के पास के लिए 33 प्रतिशत कर्मचारियों की सूची तैयार करके कर्मचारियों के पास हेतु Epassgzb.in पर आवेदन कर सकता है। सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्षों को पास प्राप्त करने के लिए कार्यालय में आना आवश्यक नही है। कार्यालयाध्यक्षों को ऑनलाइन ही पास उपलब्ध करा दिये जायेंगे। इसके प्रभारी अपर जिलाधिकारी (भू0आ0) जिनका मोबाइल नं0 7017703066 है। यदि किसी कार्यालयाध्यक्ष को कोई जिज्ञासा हो तो वह इनसे जानकारी प्राप्त कर सकता है। निजी कार्यालयों के कार्मिकों को घर से कार्य करने हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा। यदि अति आवश्यक होने पर खोलने की अनुमति हेतु उप श्रमायुक्त गाजियाबाद की ई–मेल आई0डी0 addlcupgz@gmail.com पर आवेदन किया जायेगा। कोई जिज्ञासा हो तो इन नम्बरों पर सम्पर्क किया जा सकता है। 9450207266, 8287019646, 9415296642, 7983038160, 9818145429, 9415606470
परिवहन	कन्टेंनमेंट क्षेत्र के बाहर जनपद की सीमा के अन्तर्गत टैक्सी/कार/सेवाएं केवल एक ड्राइवर व दो यात्रियों सहित अनुमति उपरान्त अनुमन्य होगी, इसके सम्बन्ध में परिवहन विभाग के पोर्टल rtogz-up@nic.in पर आवेदन कर सकता है, सम्बन्धित आवेदनकर्ता को कार्यालय में आने की आवश्यकता नही होगी, इसके प्रभारी सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) होंगे। यदि किसी को इस सम्बन्ध में कोई जानकारी प्राप्त करनी हो तो इनका मोबाइल नं0 8447304858 है।
आबकारी	देशी/विदेशी मदिरा आदि की विक्रय किये जाने के सम्बन्ध मे जिला आबकारी अधिकारी गाजियाबाद को प्रभारी अधिकारी नामित किया गया है, जिनका मोबाइल नं0 7985386448 है, से जानकारी प्राप्त कर सकते है। देशी/विदेशी मदिरा की बिक्री के सम्बन्ध में आदेश जारी कर दिये गये है तथा कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु पर्याप्त पुलिस

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद।

पत्र संख्या 3395/एस0टी0–डी0एम0/2020 दिनांक: 05 मई, 2020

आदेश

शासनादेश संख्या 381/2020/सीएक्स–3 दिनांक 03–05–2020 के द्वारा कोविड–19 महामारी के रोकथाम के सम्बन्ध में देशव्यापी लॉकडाउन दिनांक 04–05–2020 से दो सप्ताह तक प्रभावी रहने के दिशा–निर्देश जारी किये है। उक्त दिशा–निर्देशों के तहत जनपद गाजियाबाद में निम्न कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है :–

गतिविधियों का नाम	संचालन हेतु प्रक्रिया
उद्योग/औद्योगिक इकाईयॉ	उद्योग/औद्योगिक इकाईयों के संचालन के लिए dic.covidbharat.com पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते है और ऑनलाइन ही अनुमति प्राप्त होगी। अनुमति प्राप्त करने के लिए कार्यालय में आना आवश्यक नहीं है। औद्योगिक इकाईयों के संचालन हेतु उपायुक्त उद्योग केन्द्र जिनका मोबाइल नं0 9457839684 है, को प्रभारी बनाया गया है। औद्योगिक इकाईयों के संचालन में यदि किसी प्रकार की जिज्ञासा हो तो वह उपायुक्त उद्योग से जानकारी प्राप्त कर सकता है।
दुकानें/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	दुकानें/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान (केवल स्टेण्ड एलोन) के लिए ऑनलाइन आवेदन addllcupgz@gmail.com पर कर सकते है। आवेदन पत्र में केवल अपना काम प्रारम्भ करने की सूचना देनी होगी और इसके अलावा किसी अनुमति की आवश्यकता नही है। शहरी क्षेत्र में (नगर निगम, नगर पालिका एवं नगर पंचायत) कन्टेनमेंट जोन के बाहर कॉलोनी के अन्दर की दुकाने व आवासीय परिसर के अन्दर स्थित आवश्यक, गैर आवश्यक सेवा/वस्तु की दुकानों के खोलने की अनुमति होगी। शहरी क्षेत्र में (नगर निगम, नगर पालिका एवं नगर पंचायत) सीमाओं के अन्तर्गत समस्त मॉल, मार्केट, काम्पलेक्स बन्द रहेंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य राजमार्ग/लोक निर्माण विभाग के मार्ग पर स्थित दुकानों की खोलने की अनुमति नही होगी। इस सम्बन्ध में यदि किसी प्रकार की कोई जिज्ञासा हो तो उसके सम्बन्ध में उप श्रमायुक्त जिनका मोबाइल नं0 9450207266, 8287019646, 9415296642, 7983038160, 9818145429, 9415606470 है, से जानकारी प्राप्त की जा सकती है। ग्रामीण क्षेत्र में (नगर निगम, नगर पालिका एवं नगर पंचायत) के बाहर के क्षेत्र की समस्त दुकाने आवश्यक एवं गैर आवश्यक के खोले जाने के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की अनुमति की कोई आवश्यकता नही होगी। समस्त दुकाने आवश्यक/गैर आवश्यक खुलेंगी। जिला पंचायत राज अधिकारी जिनका मोबाइल नं0 9305598197 तथा जिला विकास अधिकारी जिनका मोबाइल नं0 9759971223 है, के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में आवश्यक/गैर आवश्यक जो दुकाने खोली जायेंगी, उनका नाम एवं सम्बन्धित दुकान में किस वस्तुओं का विक्रय किया जा रहा है, इसकी सूची तैयार करेंगे और ग्रामीण क्षेत्र में निगरानी रखेंगे, इनके साथ–साथ खण्ड विकास अधिकारी रजापुर, मुरादनगर, भोजपुर एवं लोनी सहयोग करेंगे।